न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (द्रुतगामी न्यायालय–प्रथम), अम्बेडकरनगर।
सत्र परीक्षण संख्या–102/2023 , कम्प्यूटर सं0 335/2023
उ0प्र0 राज्य––––––––––––––––––**प्रति**––––––––––––––मो0 जैद व अन्य।
मुकदमा अपराध सं0–32/2023
धारा–307, 120बी भा0दं0सं0
थाना–अलीगंज
जिला–अम्बेडकरनगर।

30.01.2025

(1). वाद पुकारा गया। अभियुक्त मो0 जैद मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण बाबू उर्फ फरीद एवं शाहिद उर्फ बड़का की उपस्थिति आज हेतु जरिये अधिवक्ता स्वीकृत। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थनापत्र 12ब नियत है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित हैं।

वादी मुकदमा मजरूव एकलाख उर्फ लख्खू की ओर से प्रस्तुत आवेदन विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा समावेदित करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थी चोटहिल है। प्रार्थी/साक्षी का बयान दिनांक–30.05.2024 को श्रीमान जी के समक्ष हुआ था, सहवन बयान में फरीद व रफीक का नाम जो मुकदमें में साजिश कर मुझे गोली मरवाये थे उनका नाम भूल गया था। न्यायहित में मेरी मुख्य परीक्षा फिर से इन मुल्जिमों के बारे में कराया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि मेरी मुख्य परीक्षा उपरोक्त अभियुक्तों के बारे में पुनः कराने का आदेश प्रदान करने की कृपा की जावे।

(2). अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थनापत्र 12ब में वर्णित व्यक्ति फरीद व रफीक की ओर से मैं अधिवक्ता नहीं हूँ, इसलिए उक्त आवेदन पर मुझे कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करना है।

(3). उभयपक्ष के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् परिशीलन से विदित है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन 12ब में अभिवर्णित व्यक्ति फरीद व रफीक के विरूद्ध न तो हस्तगत प्रकरण में विद्वान विवेचक द्वारा की गयी विवेचना के उपरान्त आरोप–पत्र प्रेषित किया गया था, और न ही हस्तगत दाण्डिक प्रकरण में उनका विचारण किया जा रहा है। हस्तगत दाण्डिक प्रकरण में अभियोजन साक्षी सं0–1 मो0 एकलाख उर्फ लक्खू की मुख्य परीक्षा दिनांक–30.05.2024 को अभियोजन पक्ष द्वारा अंकित करायी गयी है, जिसमें उक्त अभियोजन साक्षी ने प्रार्थनापत्र 12ब में वर्णित व्यक्तियों फरीद व रफीक द्वारा उक्त साक्षी को गोली मरवाने संबंधी कोई साक्ष्यिक अभिकथन नहीं किया था, बल्कि अब वह इस आधार पर अपनी मुख्य परीक्षा पुनः अंकित करवाना चाहता है कि वह उपर्युक्त फरीद व रफीक का नाम भूल गया था। अभियोजन साक्षी मो0 एकलाख ने दिनांक–

30.05.2014 को अंकित मुख्य परीक्षा में कहीं भी ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया है कि उसे हस्तगत प्रकरण में वर्णित आपराधिक घटना में गोली मरवाने वाले व्यक्तियों का नाम उक्त साक्ष्यिक परीक्षण के समय याद नहीं आ रहा था। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि अभियोजन साक्षी मो0 एकलाख प्रार्थनापत्र 12ब के जरिये अविश्वसनीय व आधारहीन तथ्यों के आधार पर हस्तगत दाण्डिक प्रकरण में अपनी मुख्य परीक्षा तथ्यात्मक साक्ष्य में सुधार करते हुए अंकित करवाना चाहता है, जो कि विधिक दृष्टि से अंकित नहीं की जा सकती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन 12ब स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदन 12ब निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य/प्रतिपरीक्षा पी0डब्लू–1 दिनांक–27.03.2025 को पेश हो।

दिनांकः–30.01.2025

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, (त्वरित–प्रथम)
अम्बेडकरनगर।
J.O. CODE-UP6480